

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक 11 सितम्बर, 2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि तालाबन्दी (Lockdown) की क्रमवार समाप्ति (Unlock-4) हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या- 575/USDMA/792/(2020), दिनांक 2 सितम्बर, 2020 में निम्नलिखित प्रावधानों को समावेशित करते हुए निम्नवत निर्देश पारित किये जाते हैं:-

All the inbound persons to Uttarakhand, who are given exemption from institutional and home quarantine by submitting/ uploading the RT- PCR/ TrueNAT/ CBNAAT test, from ICMR authorised lab, not earlier than 96 hours from the time of travel, reflecting covid-19 negative report in the smart city registration portal (the category of people mentioned in the point 9.2.1, 13.2 & 13.3 of the Letter No: 575/ USDMA/ 792 (2020) dated 1st September 2020), shall be given an option of taking up Covid test on payment basis at the testing facility arranged by the district administration at the border check post, if they have reached the check post without undergoing RT- PCR/ TrueNAT/ CBNAAT test and report.

If, such inbound people found positive in test, it shall be the responsibility of the concerned District Authorities, in coordination with the Health authorities, to follow protocols as laid down by MoHFW and State Government. If they found Covid negative then the inbound person shall follow all protocols like social distancing, wearing mask etc. If he/she later on develop symptoms then they shall immediately contact the Health and district administration and shall report to the nearest government medical facilities.

Necessary arrangements for conducting Covid test at the border check post shall be ensured by the concerned District Authorities on payment basis.

अतः सभी सम्बन्धित उपरोक्त समस्त निर्देशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-30/2020-DM-I (A), दिनांक 29 अगस्त, 2020 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 575/USDMA/792(2020), दिनांक 1 सितम्बर, 2020 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या: 609 /USDMA/792(2020) एवं तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा10 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

Om Prakash

(ओम प्रकाश)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी